मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनाँक:	निर्णय दिनाँक:	अवधि:
01/18/18	01/22/21	3 वर्ष, 0 माह, 4 दिन

उपस्थितः चंद्रोदय कुमार एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी. संख्या 22 वर्ष 2018

1. श्रीमती परवीन पत्नी स्वर्गीय उस्मान खान उम्र लगभग 28 वर्ष
2. शेफ अली पुत्र स्वर्गीय उस्मान उम्र लगभग 7 वर्ष
3. आलिया पुत्री स्वर्गीय उस्मान उम्र लगभग 5 वर्ष
4. पहचान खान पुत्र लल्लू खान उम्र 55 वर्ष
5. जुलेखा पत्नी पहचान खान उम्र 52 वर्ष

समस्त निवासी मोहान, थाना डकोर, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश

-------याची गण

बनाम

1. ग्यासी लाल पुत्र नाथूराम निवासी ग्राम कोटरा, पोस्ट इटायल, थाना लहचूरा, जिला झाँसी, उत्तर प्रदेश

.....मालिक मैक्समो मिनी वैन नंबर यूपी 95 ई 2452

2. न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा छतरपुर, मध्य प्रदेश, जरिए ब्रांच ऑफिस न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कचहरी चौराहा झाँसी

.....बीमा कंपनी मैक्समो मिनी वैन नंबर यूपी 95 ई 2452

3. दिनेश कुमार पुत्र मातादीन निवासी गांधीनगर गरौठा, जिला झाँसी

.....चालक मैक्समो मिनी वैन नंबर यूपी 95 ई 2452

-------विपक्षी गण

याची के अधिवक्ता- श्री अशोक कुमार अग्रवाल

विपक्षी सं . 1 व 3 के अधिवक्ता- श्री बृजेंद्र कुमार पांडे

विपक्षी सं. 2 के अधिवक्ता- श्री वीके मिश्रा

निर्णय

यह याचिका याची गण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में याची गण के पति, पिता व पुत्र उस्मान खान की मृत्यु के कारण ₹ 59,25,000 क्षतिपूर्ति मय 12% वार्षिक ब्याज दावा प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक दिलाये जाने हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. याचिका के अनुसार संक्षेप में प्रकरण यह है कि दिनॉक 06.12.2017 को मृतक उस्मान मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 एन 5306 पर पीछे बैठकर अपने साथी अब्दुल जहीद के साथ रानीपुर से अपने गांव परसुआ आ रहा था कि समय करीब 10:00 बजे दिन पीछे से आ रही मैक्सिमो मिनी वैन नंबर यूपी 95 ई 2452 ने फिल्टर के आगे करीब 500 मीटर भंसनेह गांव की ओर उपरोक्त गाड़ी के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाते हुए जोरदार टक्कर मार दी जिससे पीछे बैठे उस्मान गंभीर रूप से घायल हो गया वह चालक अब्दुल जहीद को भी चोटे आई तथा मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। पीछे से दूसरी मोटरसाइकिल से आ रहे इस्माइल खां व सकूर खान पुत्र गण अली मोहम्मद निवासी परसुआ आ रहे थे जिन्होंने उक्त मैक्सिमो मिनी वैन का नंबर देखते हुए उस्मान व अब्दुल जहीद को उठाया इसके बाद उन्होंने उस्मान खान को सरकारी अस्पताल गुरसराय मैं इलाज हेतु भर्ती कराया था जहां पर डॉक्टर द्वारा उस्मान को मृत घोषित कर दिया। मृतक एक होनहार नवयुवक था और वह मद्रास में जिला त्रिरूना मुलाई के अंतर्गत पोलूर कस्बा में पानी के बताशे 5 ढ़ेलियों पर अपने अंडर में बिकवाता था व स्वयं बेचता था। प्रत्येक ढ़ेली से 200-250 ₹ की आय प्रतिदिन हो जाती थी। वहां से कमा कर पैसा अपनी मां और भाई के खातों में भेजता रहता था और अपने लड़के शैफ अली के नाम से एक एलआईसी पॉलिसी भी लिए था और मकान को पक्का बनवा दिया था और अपनी बहन मुवीना की अच्छी खासी शादी की जिसमें 15-20 लाख रुपया खर्च किया। मद्रास में करीब 5 साल से पानी बतासा बेचने का काम करता था जिससे उसके परिवार का लालन पालन होता था। उक्त मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 एन 5306 के मालिक मृतक के पिता पहचान पुत्र लल्लू खान थे और मोटरसाइकिल का घटना के वक्त बीमा नहीं था इसलिए मोटरसाइकिल के मालिक और बीमा कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया।

3. विपक्षी संख्या 1 व 3 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है जिसमें दुर्घटना से इनकार किया गया है तथा वाहन का बीमा विपक्षी संख्या तीन से बीमित होने का अभिकथन किया गया है और यह भी अभिकथन किया गया है कि प्रश्न गत कथित दुर्घटना कारी वाहन को विपक्षी संख्या तीन द्वारा चलाया जाता था तथा विपक्षी संख्या तीन के पास दुर्घटना के समय वेद एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति थी।

4. प्रश्न घर कथित दुर्घटना कारी वाहन की बीमा कंपनी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर दुर्घटना से इनकार किया गया है तथा नियमों व शर्तों के उल्लंघन पर दायित्व से इनकार किया है।

5. उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिंदु विरचित किए गए हैं-

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.22 18:19:38 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

1. **क्या दिनॉक 06.12.2017 को 10:00 दिन अपने साथी अब्दुल जहीद के साथ मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 एन 5306 पर पीछे बैठकर रानीपुर से अपने गांव परसुआ आ रहा था कि पीछे से आ रही मैक्सिमो मिनी वैन नंबर यूपी 95 ई 2452 के चालक ने फिल्टर के आगे करीब 500 मीटर भस्नेह गांव की ओर तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी जिससे पीछे बैठा उस्मान गंभीर रूप से घायल हो गया और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई ?**
2. **क्या उक्त दुर्घटना के समय मैक्सिमो मिनी वैन नंबर यूपी 95 ई 2452 के चालक के पास वाहन चलाने का वैध व प्रभावी लाइसेंस था ?**
3. **क्या उक्त दुर्घटना के समय मैक्सिमो मिनी वैन नंबर यूपी 95 ई 2452 विपक्षी संख्या दो इश्योरेंस कंपनी के यहां बीमित थी ?**
4. **क्या याची गण विपक्षी गण से कोई क्षतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं यदि हां तो कितनी व किससे ?**

6. पक्षकारों की तरफ से निम्न लिखित अभिलेखीय व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याची की ओर से -

अभिलेखीय साक्ष्य-

1. सूची साक्ष्य 7 सी1 के माध्यम से 8 सी1 लगायत 12 सी1 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, शव विच्छेदन आख्या, बीमा पॉलिसी व पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रतियाँ शामिल हैं।

2. सूची साक्ष्य 24 सी1 के माध्यम से 25 सी1/1 लगायत 29 सी1/23 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं, जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, शव विच्छेदन आख्या, आरोपपत्र की सत्य प्रतियाँ एवं किराए नामे की मूल प्रति शामिल हैं।

मौखिक साक्ष्य -

पी.डब्लू. 1 श्रीमती परवीन, पी.डब्लू. 2 अब्दुल जहीद व पी.डब्लू. 3 अरविंद कुमार

विपक्षीगण की ओर से -

अभिलेखीय साक्ष्य -

विपक्षी सं. 1 की ओर से सूची साक्ष्य 20 सी1 के माध्यम से 21 सी1/1 लगायत 21 सी1/4 पंजीयन प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी, चालन अनुज्ञप्ति एवं आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ शामिल हैं।

गवाह की ओर से सूची साक्ष्य 31 सी1 के माध्यम से 32 सी1/1 लगायत 32 सी1/7 अरविंद कुमार के अंक पत्र, चालन अनुज्ञप्ति, एवं आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ शामिल हैं।

मौखिक साक्ष्य-

विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. मैंने याची के विद्वान् अधिवक्ता व विपक्षी सं. 2 बीमा कम्पनी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया। विपक्षी सं. 1 व 3 की ओर से दौरान बहस भी कोई उपस्थित नहीं हुआ।

निष्कर्ष

8. **निस्तारण विवाद्यक संख्या - 1**

याचीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी PW-2 अब्दुल जहीद पुत्र शकूर खाँ जो कथित घटना का चक्षुदर्शी बताया गया है और जो मृतक का फुफेरा भाई है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथित दुर्घटना के संबंध मे याचिका के अभिकथनों का समर्थन करते हुये कथन किया है कि घटना दिनॉक 06.12.17 की है। वह मोटरसाइकिल से ग्राम परसुआ जा रहा था। वह मोटरसाइकिल को धीमी गति से अपनी साइड में चला रहा था। जैसे ही मोटरसाइकिल भसनेह बंदा फिल्टर के पास पहुंची तभी पीछे से तेजी व लापरवाही से मैजिक नंबर यूपी 95 ई 2452 ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से पीछे बैठे भाई उस्मान को गंभीर चोटें आईं और उसे भी चोट आई। घटना सुबह करीब 10:00 बजे की है। उसके पीछे आ रहे इस्माइल व शकूर उन लोगों को सरकारी अस्पताल गुरसराय ले गए जहां डॉक्टरों ने उस्मान को मृत घोषित कर दिया और उसकी मरहम पट्टी करके छुट्टी कर दी। घटना मैजिक चालक की लापरवाही से हुई है। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब दुर्घटना हुई उसके बांई तरह एक डेढ़ फुट छूटी हुई थी। सड़क 20 फुट चौड़ी है। उसने मैक्समो मिनी वैन को नहीं देखा था। उसका नंबर यूपी 95 ई 2452 था। उसने यह भी कथन किया है कि उसके पास चालन अनुज्ञप्ति है जिसका नंबर 9310012366 है जो झाँसी का बना हुआ है। इस साक्षी की प्रति परीक्षा में ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे घटनास्थल पर इस साक्षी की उपस्थिति या इसके मुख्य परीक्षा में किए गए कथन पर संदेह उत्पन्न होता हो। पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य से ऐसा भी कोई तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे यह स्पष्ट होता हो की मोटरसाइकिल चालक ने भी कोई चूक की थी। जहां तक दुर्घटना कारी वाहन का नंबर इस साक्षी द्वारा देखे जाने का प्रश्न है तो वैसे तो इस साक्षी ने दुर्घटनाकारी वाहन का नंबर तो बताया है किंतु प्रति परीक्षा में इसने यह भी कथन किया है कि उसने वाहन को नहीं देखा था। बहुत संभव है कि इसका यह कथन इस संदर्भ में हो कि उसने पीछे से आ रहे दुर्घटनाकारी वाहन को दुर्घटना से पहले नहीं देखा था क्योंकि आगे की प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने यह स्पष्ट किया है की मैक्सिमम

वैन पीछे-पीछे कितने देर से आ रही थी उसने नहीं देखा। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में यह भी कथन किया है कि दुर्घटनाकारी वैन में स्कूल के बच्चे बैठे हुए थे। मैक्सिमो वेन घटना के बाद थोड़ी देर रुकी थी फिर पीछे से लोगों को आते हुए देख कर चली गई थी जिससे स्पष्ट हो जाता है कि इस साक्षी ने दुर्घटना कारी वाहन को भी देखा और उसका नंबर भी देखा। विधि व्यवस्था **अर्चित सैनी व अन्य बनाम दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमि0 व अन्य (09.02.18-SC): MANU/SC/0105/2018** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि *मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित मामलों में इतनी यात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी एक आपराधिक मुकदमे में। न्यायालय को इस अन्तर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढंग से दुर्घटना कारित किये जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिए सम्भव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था, उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।* प्रस्तुत प्रकरण में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट 6 दिन के विलंब से है। PW-2 द्वारा ही प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई गयी है। आरोप पत्र में इस्माइल खां व शकूर खान को चक्षुर्दशी साक्षी बताया गया है। स्पष्ट है कि इन लोगों के बयानों के पश्चात ही विवेचनाधिकारी द्वारा दुर्घटनाकारी वाहन के चालक दिनेश कुमार के विरुद्ध न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 427, 338, 427 व 304 ए के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी उस्मान की मृत्यु होने की पुष्टि होती है, अतः मैं इस निष्कर्ष का हूं कि वर्तमान मामले में याचीगण की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से याचिका में वर्णित दुर्घटना इस प्रकार साबित होती है कि दिनॉक 06.12.2017 को 10:00 दिन अपने साथी अब्दुल जहीद के साथ मोटरसाइकिल नंबर यूपी 93 एन 5306 पर पीछे बैठकर रानीपुर से अपने गांव परसुआ आ रहा था कि पीछे से आ रही मैक्सिमो मिनी वैन नंबर यूपी 95 ई 2452 के चालक ने फिल्टर के आगे भस्नेह गांव की ओर तेजी व लापरवाही से चलाकर मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी जिससे पीछे बैठा उस्मान गंभीर रूप से घायल हो गया और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई।

9. **<u>निस्तारण विवाद्यक संख्या - 2</u>**

वाहन स्वामी व चालक की ओर से पत्रावली पर दिनेश कुमार के चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति प्रपत्र संख्या 21 सी1/3 वाह 27 सी1/3 प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार दिनेश कुमार दिनॉक 25.01.07 से 24.01.2027 तक हल्के मोटर वाहन तथा मोटरसाइकिल (प्राइवेट) चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। बीमा कंपनी की ओर से इस अनुज्ञप्ति का खंडन नहीं किया जा सका है। अतः यह साबित है कि दुर्घटना के समय मैक्सिमो मिनी वैन नंबर यूपी 95 ई 2452 के चालक के पास वाहन चलाने का वैध व प्रभावी लाइसेंस था।

10. **<u>निस्तारण विवाद्यक संख्या - 3</u>**

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर वाहन स्वामी विपक्षी सं. 1 की ओर से प्रपत्र सं. 21C1 बीमा पॉलिसी की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिनके अनुसार, यूपी 95 ई 2452 का बीमा दिनाँक 24.01.2017 से 23.01.2018 तक प्रभावी है। प्रपत्र सं. 21C1 आर.सी. के अनुसार वाहन सं. यूपी 95 ई 2452 के रूप मे विपक्षी सं. 1 के नाम पंजीकृत है। इस पॉलिसी का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। घटना दिनाँक 06.12.2017 की है। अतः वाद बिन्दु सं. 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

11. **<u>निस्तारण विवाद्यक संख्या - 4</u>**

चूंकि दुर्घटना यूपी 95 ई 2452 के चालक विपक्षी सं. 3 की लापरवाही के कारण हुयी है अतः वाहन स्वामी व चालक संयुक्त एवं पृथक-पृथक रूप से क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है। चँकि दुर्घटना के समय वाहन विपक्षी संख्या 2 से बीमित था, अतः क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी संख्या 2 पर है।

12. **<u>क्षतिपूर्ति की गणना -</u>**

PW1 व PW3 ने मद्रास में पानी ठेलियों पर पानी के बताशे बेचने व बिकवाने के व्यवसाय से मृतक की आय ₹30-40 हजार प्रति माह की बताई है किंतु इस आय के संबंध में न तो आयकर रिटर्न भरे जाने का कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है और नहीं इस आय को साबित करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज ही प्रस्तुत किया गया है। अतः मैं इस मत का हूं की क्षतिपूर्ति के गणना में मृतक की अकुशल मजदूर के रूप में कल्पित आय को संज्ञान में लेना न्यायोचित होगा। उल्लेखनीय है कि अकुशल मजदूर को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। उल्लेखनीय है कि कृषि मजदूर को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। विधि व्यवस्था Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008 - SC) : MANU/SC/7368/2008 मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018 – ALLHC) : MANU/UP/2954/2018 मे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹200 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। वास्तव मे कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। उल्लेखनीय है कि अकुशल मजदूर को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। माह मे औसतन चार दिन मजदूरी न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार कल्पित आय (Notional Income) ₹165 निर्धारित की जाती है।

13. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मृतक की आयु 32 वर्ष साबित है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार 16 का गुणक, 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40% संभावित प्रत्याशा की वृद्धि, याचीगण पर पत्नी, दो अवयस्क संतानें, पिता एवं माता की आश्रितता के दृष्टिगत स्वयं के खर्च पर 1/4 की कटौती, वैवाहिक सहचर्य की क्षति के लिए ₹40,000, संपदा की क्षति के लिए ₹15,000, दाह संस्कार के लिए ₹15,000 निर्धारित किये जाते हैं।

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	165	30	12	59400
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			40	23760
स्वयं पर खर्च (भाग में)			4	20790
स्वयं पर खर्च घटाने पर (गुण्य)				62370
गुणक			16	997920
वैवाहिक साहचर्य की क्षति			40000	1037920
संपदा की क्षति			15000	1052920
अंतिम संस्कार पर खर्च			15000	1067920
कुल क्षतिपूर्ति				**1067920**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹10,67,920 (दस लाख सरसठ हजार नौ सौ बीस) आती है। विधि व्यवस्था के आलोक मे National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 - SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। याची गण पत्नी, दो अवयस्क संतानें, पिता एवं माता हैं अत: याची सं. 1 लगायत 5 के मध्य क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 30, 25, 25, 5 व 15 प्रतिशत भाग का बंटवारा न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था के आलोक मे M.R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. (05.03.2019 - SC) : MANU/SC/0321/2019 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की वार्षिकी (Annuity) प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

याची की याचिका विपक्षी सं. 2 के विरुद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹10,67,920 (दस लाख सरसठ हजार नौ सौ बीस) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, हेतु आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी विपक्षी सं. 2 न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 60 दिन के अंदर क्षतिपूर्तिकर्ता के रूप मे क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशपल बैंक के खाता संख्या 3671000101192489 IFSC- PUNB0367100 मे RTGS/NEFT के माध्यम से कर दे। क्षतिपूर्ति धनराशि के स्थानांतरण की सूचना मय UTR/Reference No. व MACP नं. ईमेल po-mact.jh@ip.gov.in पर अवश्य दी जाएगी अन्यथा 12% ब्याज देय होगा। याचीगण क्षतिपूर्ति की धनराशि का क्रमश: 30, 25, 25, 5 व 15 प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगें। याची सं. 1, 4 व 5 को प्राप्त होने वाली धनराशि की 75 प्रतिशत भाग क्रमशः 5 व 3-3 वर्ष के लिए तथा याची सं. 2 व 3 की सम्पूर्ण धनराशि याची सं. 1 की संरक्षकता मे 10 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एन्युटी बनाई जायेगी।
तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनाँक 22.01.2021

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनाँकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।
दिनाँक 22.01.2021

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी